विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	2036
उत्तर की तिथि	:	09.03.2022
विषय	:	विस्थापितों को रोजगार
प्रश्नकर्त्ता का नाम	:	श्री विनय कुमार (श्री रेणुकाजी)
सम्बन्धित मन्त्री	:	बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री

प्रश्न	उत्तर
सरकार रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित हुए परिवारों के व्यक्तियों को रोजगार देने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; इस परियोजना के निर्माण हेतु कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया; विस्थापितों का ब्यौरा नाम व पते सहित दें?	सरकार रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित हुए परिवारों के व्यक्तियों को परियोजना निर्माण के लिए अनुबन्धित कम्पनियों के माध्यम से कुल जनशक्ति में से 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचल वासियों को देगा। इस प्रक्रिया में मुख्य परियोजना प्रभावित परिवारों/परियोजना प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में 45 व्यक्तियों को विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया है तथा भविष्य में भी जब सम्बन्धित वर्गों के लिए भर्ती की जाएगी तो विस्थापितों को योग्यता अनुसार रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। अप्रत्यक्ष रोजगारः— 1. सामान्तः 5 लाख रुपये तक के सभी ठेके योजना प्रभावित परिवार को दिये जाएगें। 2. योजना प्रभावित परिवार के वाहनों को किराए पर लिया जाएगा।

	3. योजना प्रभावित परिवार को स्व रोजगार हेतु 50,000/– रु. का अनुदान प्रदान किया जाएगा। 4. योजना प्रभावित परिवार तथा अन्य मछली पकड़ने वाले प्रभावित परिवार, जिन्हें नदी में मत्स्य आखेट के अधिकार है, उनको मत्सय आखेट के अधिकार जलाश्य में भी दिए जाएगें। रेणुकाजी बांध परियोजना के लिए 947.40 हेक्टयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। वर्तमान में 17 परियोजना प्रभावित पंचायतों में जिन परिवारों की भूमि एवं मकानों का अधिग्रहण किया गया है, उनकी सूची रेणुकाजी बांध परियोजना द्वारा सत्यापन हेतु उपायुक्त, सिरमौर के कार्यालय को भेजी जा चुकी है। सत्यापित सूचियों की अधिसूचना अभी अपेक्षित है।

****